

NOC

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली

क्रमांक : जिशिअ/मु.मा./सामान्य/मान्यता/2019/5547

दिनांक : 28/03/2019

प्रेषित,

संबंधित विधालय

श्री श्वेतलाजा मंडल आदर्श विद्यालय, रणकपुर रोड, साद्री - पाली


विषय : सत्र 2019-20 हेतु सीबीएसई/सीआईएससीई, नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग : शिविरा-मा/पीएसपी-सी/अ-2/60567/केमाशिबो/2019-20 दिनांक 27.03.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान निदेशक महोदय के पत्रांक शिविरा-मा/पीएसपी-सी/अ-2/60567/केमाशिबो/2019-20 दिनांक 27.03.2019 की पालना में निम्नांकित गैर सरकारी विधालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र एवं माध्यम के लिए के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्ति हेतु निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2019-20 के लिये ही मान्य होगा।
2. विधालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा निर्देशों की पालना की जावेगी।
3. विधालय/संस्था द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बाल वाहिनी के क्रम में जारी किये गये दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावेगी।
5. विधालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसरण में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों/नियमों की अक्षरशः पालना की जाएगी।
6. विधालय/संस्था परिसर में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं करेगी।
7. राजस्थान विधालय फीस का विनियमन अधिनियम-2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विधालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय-समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वांछित रिकॉर्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
9. विधालय में दिव्यांग जनों के लिये रैम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जावेगी।
10. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना की जावेगी।
11. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विधालय भवन का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिये किया जा सकेगा।


Administrator
Shree Khetlaji Manda
Sadri


PRINCIPAL
ADARSH VIDYALAYA SECONDARY
RANAKPUR ROAD - SADRI (PALI)
AFF.No.-1731099 SCH Code - 11465

PTO.....

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालयों को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	सम्बद्धता (CBSE/CISCE)	NOC देने का सत्र	माध्यम
1	सीरवी इंटरनेशनल स्कूल निम्ब्रिया फार्म हाउस, भाकरवास, जैतारण, पाली	CBSE	2019-20	अंग्रेजी
2	श्री खेतलाजी मंडल आदर्श विद्यालय रणकपुर रोड़, सादड़ी, पाली	CBSE	2019-20	अंग्रेजी ✓
3	ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रानी, पाली	CISCE	2019-20	अंग्रेजी

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) मा.शि. पाली
दिनांक : 28/3/2019

क्रमांक : जिशिअ/मु.मा./सामान्य/मान्यता/2019/5548-51
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली मण्डल पाली।
3. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पाली।
4. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) मा.शि. पाली

PRINCIPAL
ADARSH VIDYALAYA SECONDARY
/ RANAKPUR ROAD - SADRI (PALI)
AFF.No.-1731099. SCH Code - 11465

Administrator
Shree Khetlaji Manda,
Sadri